संख्या: 70/2022/1400/छप्पन-2022-47/2015

प्रेषक,

आनन्द कौशिक,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक: 16 सितम्बर, 2022

विषय: राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM के लिए Secondary Flight Display Mark 2, P/N: 39213-00-01 क्रय करने के लिए वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-137/ना0उ0नि0/यू0पी0एम0-11-आई/2022 दिनांक 05 सितम्बर, 2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- आपके सन्दर्भगत पत्र में किए गए प्रस्ताव के क्रम में श्री राज्यपाल राजकीय वायुयान Hawker 900XP VT-UPM से Secondary Flight Display Mark 2 P/N: 39213-00 01 S/N: M013817 को एक्सचेंज बेसिस पर निर्माता फर्म M/s. Textron Aviation, U.S.A. से कोटेशन संख्या 34673523 दिनांक 11.08.2022 के अनुसार कराये जाने हेतु कुल यू.एस. डालर 40387.60 जो कि भारतीय मुद्रा में रूपये 82 प्रति यू0एस0 डालर की विनिमय दर से कुल रूपये 33,11,783/- (रूपये तैंतीस लाख ग्यारह हजार सात सौ तिरासी मात्र) के व्यय की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा उक्त धनराशि का भुगतान बिल बेसिस के आधार पर किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) निदेशक, नागरिक उड्डयन द्वारा प्रस्तावित धनराशि को आहरित कर किसी बैंक खाते में नहीं रखा जायेगा।

(2) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जाएगा।

(4) आहरण/समायोजन में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता/ क्षति होती है, तो उसके लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(5) निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(6) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 का होगा। वित्तीय स्वीकृति का कार्यादेश निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जाएगा।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) उक्त कम्पोनेन्ट्स का ओवरहाल वर्तमान संगत नियमों के अन्तर्गत कराया जायेगा तथा शासन का हित सुरक्षित रखने की दृष्टि से आहरित धनराशि के भुगतान के लिये निर्धारित नियमों/आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(8) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गई व्यवस्था के अनुसार उक्त स्वीकृत धनराशि के आहरण, भुगतान एवं समायोजन में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0 एवं सम्बन्धित आहरण एवं वितरण अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(9) निदेशक**,** नागरिक उड्डयन यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है। निदेशक**,** नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है|

(10) प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

3- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या 38 के अन्तर्गत राजस्व लेखा शीर्षक ''2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-114-वाहन का क्रय तथा रख रखाव-03-नागरिक उड्डयन निदेशालय-42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या: 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में विहित प्राधिकारों के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

संख्या: 70/2022/1400(1)/छप्पन-2022 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
(2) उप महालेखाकार/ई0एस0-III, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर लखनऊ-10
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
(5) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in